सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 58/2018

बउनवानः—

1. सुरेश कुमार } पिसरान प्रहलाद जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल
2. हंसराज }
3. चन्द्रकला बाई पुत्री प्रहलाद पत्नि महावीर प्रसाद जाति मीणा निवासी राजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. कमलेश कुमारी पुत्री प्रहलाद पत्नि छीतर जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां
5. गायत्री बाई पुत्री प्रहलाद पत्नि मुकुट बिहारी जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
6. बद्री बाई बेवा प्रहलाद जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति काली बाई पत्नि हुकमचंद जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल
2. प्रहलाद पुत्र श्री मियाला जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
3. हुकमचन्द्र }
4. ओम प्रकाश } पिसरान स्वर्गीय तेजमल जाति मीणा निवासीगण श्यामपुरा तहसील निवासीगण श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
5. मुकुट बिहारी }
6. बालमुकन्द }
7. मूली बाई }
8. रामकन्या बाई बेवा तेजमल जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
9. देवीशंकर पुत्र }
10. प्रथम स्वरूप पुत्र } जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
11. पार्वती बाई पुत्री }
12. बद्री बाई पुत्री }
13. कांति बाई पुत्री }
14. नट्टी बाई बेवा }
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92(ए), 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

[illegible] प्रतिवादीगण : अजित कुमार जैन

[illegible] दिनांक: 22.11.2018 निर्णय दिनांक : 07.02.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी नं0 2 प्रहलाद पुत्र नियाला की जायज संतान व उत्तराधिकारी वारिस है, तथा अप्रार्थी नं0 3 लगायत 14 संयुक्त परिवान के सदस्य है, अप्रार्थी नं0 2 लगायत 14 के शामलाती ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल के खाता संख्या नया 43 पुराना 49 में निम्न प्रकार से आराजी दर्ज है:–

क्रम सं0	खसरा नं0	रकबा है0 में	क्रम संख्या	खसरा नं0	रकबा है0 में
01	10	0.06	18	156	0.25
02	14	0.07	19	157	0.25
03	14/535	0.06	20	158	0.23
04	15	0.10	21	159	0.18
05	17	0.12	22	160/457	0.03
06	33	0.15	23	162	0.26
07	40	0.49	24	296	1.70
08	85	1.60	25	298	2.54
09	87	1.21	26	300	3.50
10	94	0.40	27	306	0.16
11	95	0.08	28	307	0.12
12	100	0.57	29	308	0.20
13	104	0.14	30	310	0.82
14	134	1.49	31	312	3.18
15	135	1.35	32	374	0.64
16	136	1.55	33	309/519	0.13
17	149	0.34	किता 33 रकबा 24.00 है0		

प्रार्थीगण के पिता प्रहलाद जी का अन्य अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खाता है शामलाति आराजी में सहखातेदार है प्रार्थीगण के पिता व उनके बडे भाई स्वर्गीय तेजमल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी नं0 1 तथा अप्रार्थी नं0 9 लगायत 14 के विरूद्ध इस सम्मानीय न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी 19.12.2018 बउनवान मुकदमा तेजमल, प्रहलाद बनाम देवीशंकर वगै0 है अप्रार्थी नं0 3 ता 8 स्वर्गीय तेजमल जी के वारिस है। वाद पत्र के साथ तेजमल व प्रहलाद ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया था, जिसमें न्यायायल ने मूल वाद के निर्णय तक अपने निर्णयो से अप्रार्थी नं0 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर रखा है कि वह संयुक्त खाते की आराजी में दखलअंदाजी न करें राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनी रहे। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र बउनवान तेजमल, प्रहलाद बनाम देवीशंकर की सत्यप्रतिलिपी वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित आरजी के साबिक खसरा नं0 व रकबा निम्न प्रकार से है। खाते में दर्ज आराजी खाता संख्या 31 में सम्वत 2031 से 2034 तक में खसरा नं0 10 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 14 रकबा 15 बिस्वा,

खसरा नं0 17 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 30 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 36 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 155 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 178 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 194 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 202 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 227 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 230 रकबा 5 बीघा 16 बीघा, खसरा नं0 232 रकबा 60 बीघा, खसरा नं0 224 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 256 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 312 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 317 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 16 कुल रकबा 151 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित थी। प्रार्थीगण के पिता प्रहलाद के बडे भाई तेजमल का स्वर्गवास हो जाने से उन पर से दबाव अंकुश हट गया और प्रहलाद जी अत्यधिक शराब का सेवन करने लगे, उनको यह भी होश नही रहता है कि मेरा अच्छा क्या है, और बुरा क्या है, कोई भी व्यक्ति उनको शराब पिलाकर अपने मन मुआफिक कार्य करा लेता है। प्रार्थीगण के पिता प्रहलाद ने (अप्रार्थी नं0 2) दिनांक 18.05.2018 को एक रजिस्टर्ड बैचान अप्रार्थीया नं0 1 को कर दिया उक्त रजिस्टर्ड बैचान में अप्रार्थी नं0 2 ने अप्रार्थीया नं0 1 काली बाई का अपने हिस्से 1/6 का 1/12 वा भाग कुल खाते का 1/72 वा हिस्से का बैचान कर दिया उक्त रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 18.05.2018 निम्न आधारो पर प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य घोषित किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है। व पीढी पद पीढी वंशानुगत रूप से विरासत में पिता से पुत्र को प्राप्त होती रही है, आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण का जन्मजात हिस्सा आराजी में निहित है, अर्थात जैसे ही बच्चे का जन्म होता है होने वाला शिशु पैत्रिक आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त कर लेता है। पूर्व से ही इस सम्माननीय न्यायालय में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा का वाद जैरकार है, जिससे निर्णय होना शेष है, दौराने वाद आराजी का बैचान नही किया जा सकता। दिनांक 06.01.2011 को इस सम्माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीया नं0 1 के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी है उक्त वाद अभी जैरकार है, जिसमें आगामी पेशी 19.12.2018 नियत है, आदेशानुसार अप्रार्थीया नं0 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही कर सकती और राजस्व रेकार्ड की स्थिति को प्रभावित नही कर सकती है। दौराने वाद अप्रार्थी नं0 2 ने अप्रार्थीया नं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया है, जो प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी नं0 1 व 2 के विरूद्ध ताफैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि उक्त वर्णित आराजी में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.05.2018 के आधार पर प्रहलाद के हिस्से की आराजी पर इंतकाल तस्दीक न करें। राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखे। यह कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 प्रहलाद के हिस्से की आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने देवे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.11.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये सम्मन तलब होने के

तथा अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण की रिलीफ मात्र अप्रार्थीगण कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है, न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा जारी ताफैसला वाद निर्णय दिनांक 06.01.2011 का भी अवलोकन किया जिसमें अप्रार्थीया कम 1 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है।

आराजी शामलाती खाते की है जिसमें अप्रार्थी कम 2 ता 14 का शामलाति खाता है, विभाजन हेतु वाद इस न्यायालय में पूर्व से ही विचाराधीन है, अप्रार्थी कम 2 ता 8 के इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण के पक्ष में पृथम दृष्टया केस बनना पाया जाता है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसी स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीया कम 1 व 2 को पाबंद किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 18.05.2018 के आधार पर अप्रार्थीया कम 1 के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक न करें तथा एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की भी जारी की जाती है कि अप्रार्थी कम 1 प्रहलाद अप्रार्थी कम 2 के हिस्से की आराजी जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना